

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

सेवा में,

महालेखाकार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना, बिहार।

विषय:-

सबके लिए आवास (शहरी) योजना के अधीन राज्य के 12 नगर निकायों में योजना के कार्यान्वयन हेतु विमुक्त केन्द्रांश की राशि के विरुद्ध अनुपातिक राज्यांश की राशि Other than SC and ST घटक में ₹1677.60 लाख, SC घटक में ₹379.20 लाख एवं ST घटक में ₹59.40 लाख अर्थात् कुल राशि ₹2116.20 लाख (इक्कीस करोड़ सोलह लाख बीस हजार रू0 मात्र) की सहायक अनुदान के रूप में वित्तीय वर्ष 2019-20 में निकासी की स्वीकृति।

आदेश- स्वीकृत।

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा "सबके लिए आवास (शहरी)" योजना का शुभारंभ दिनांक-17.06.2015 से किया गया है। इस योजना का उद्देश्य वर्ष 2022 तक शहरी क्षेत्रों में निवास कर रहे आवासविहीन परिवारों को कम से कम 30 वर्गमीटर का पक्का आवास उपलब्ध कराना है। योजना के कार्यान्वयन हेतु मंत्रालय द्वारा मार्गदर्शिका जारी की गयी है।

मंत्रालय के पत्रांक-No.-I-14011/19/2018-HFA-V-UD(Comp. No. 9047670) दिनांक-15.02.2019 द्वारा राज्य के 12 नगर निकायों में योजना के कार्यान्वयन हेतु विमुक्त राशि ₹2804.597 लाख केन्द्रांश एवं पत्रांक-No.-I-14011/19/2018-HFA-V-UD(Comp. No. 9047670) दिनांक-15.03.2019 द्वारा राशि ₹3544.003 लाख केन्द्रांश अर्थात् कुल राशि ₹6348.60 लाख के अनुपातिक राज्यांश की राशि ₹2116.20 लाख की निकासी की जानी है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में उपलब्ध बजट उपबंध के आलोक में ₹423.20 लाख की निकासी हेतु विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0-153 दिनांक-13.03.19 एवं आवंटनादेश सं0-113 दिनांक-13.03.19 निर्गत किया गया था परन्तु राशि की निकासी नहीं की जा सकी। सम्प्रति विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0-153 दिनांक-13.03.19 एवं आवंटनादेश सं0-113 दिनांक-13.03.19 को रद्द करते हुए वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुपातिक राज्यांश की राशि Other than SC and ST घटक में ₹1677.60 लाख, SC घटक में ₹379.20 लाख एवं ST घटक में ₹59.40 लाख अर्थात् कुल राशि ₹2116.20 लाख (इक्कीस करोड़ सोलह लाख बीस हजार रू0 मात्र) की निकासी की स्वीकृति निम्नवत् प्रदान की जाती है:-

(राशि लाख रू0 में)

क्रस	परियोजना का नाम	स्वीकृत आवासीय ईकाई	SC मद में विमुक्त की जाने वाली अनुपातिक राज्यांश की राशि।	ST मद में विमुक्त की जाने वाली अनुपातिक राज्यांश की राशि।	Other than SC & ST मद में विमुक्त की जाने वाली अनुपातिक राज्यांश की राशि।
1	2	3	4	5	6
1	Amarpur Phase - II	148	5.00	0.00	14.40
2	Balia Phase - III	759	27.40	0.20	106.20
3	Fatuha Phase - II	122	0.00	0.00	0.00
4	Katihar Phase - II	3446	70.20	31.40	249.40
5	kishanganj Phase - III	5637	102.80	20.80	694.80
6	Naughachiya Phase - II	344	2.00	0.00	61.60
7	Nokha Phase - II	280	19.80	0.00	35.20
8	Parsa Bazar Phase - II	1208	38.60	4.40	131.20
9	Rivilganj Phase - II	1035	21.40	2.60	140.00
10	Simri Bakhtiyarpur Phase - II	962	22.40	0.00	75.60
11	Kanti Phase - II	1717	69.60	0.00	169.20
12	Hisua Phase - III	266	0.00	0.00	0.00
	कुल	15924	379.20	59.40	1677.60

2. स्वीकृत राशि ₹2116.20 लाख (इक्कीस करोड़ सोलह लाख बीस हजार ₹0 मात्र) के निकासी एवं व्यय पदाधिकारी, प्रशाखा पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना होंगे। जिनके द्वारा उक्त राशि की एक मुश्त निकासी चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के अंतर्गत सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी तथा योजना के कार्यान्वयन हेतु राशि बिहार शहरी विकास अभिकरण (बुडा), पटना के Allahabad Bank, Main Branch, Patna के Account Name- BUDA-HFA (State), A/c No.- 50343639830, IFSC Code- ALLA0210003 में अंतरित किया जाएगा, जो आवश्यकतानुसार संबंधित नगर निकायों को RTGS के माध्यम से विमुक्त किया जायेगा। उक्त राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र सं०-2561, दिनांक-17.04.98, झापांक-7085 दिनांक-19.09.2018 एवं पत्रांक-256 दिनांक-26.02.2019 के अनुदेशों के आलोक में की जायेगी।

3. राशि की निकासी किसी भी स्थिति में ए०सी० विपत्र पर नहीं किया जायेगा। यह राशि शहरी स्थानीय निकायों को अनुदान है इसलिए राशि की निकासी (BTC) के नियम 270 TC फॉर्म 42 पर किया जायेगा। राशि की निकासी करते समय विपत्र पर विपत्र कोड अनिवार्य रूप से अंकित किया जायेगा। राशि की निकासी के लिए CFMS के माध्यम से आवंटनादेश निर्गत किया जाएगा। यह योजना नयी है, इसलिए उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर सभी संबंधित को उपयोगिता प्रमाण पत्र अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा।

4. वित्त विभाग, बिहार, पटना के परिपत्र सं०-7355 वि (2) दिनांक-05.10.07 में निहित अनुदेशों के आलोक में विषयांकित मामले में महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

5. (i) स्वीकृत राशि ₹2116.20 लाख (इक्कीस करोड़ सोलह लाख बीस हजार ₹0 मात्र) में से ₹1677.60 लाख माँग/विनियोग सं०-48, मुख्य शीर्ष-2217- शहरी विकास, उप मुख्य शीर्ष-03 - छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास, लघु शीर्ष-051, निर्माण, उप शीर्ष-0303- सबके लिए आवास (शहरी) मिशन, विपत्र कोड-48-2217030510303, पी०एफ०एम०एस० कोड-1989, विषय शीर्ष 3105-सहायक अनुदान-परिसंपत्तियों के निर्माण, अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में उपबंधित राशि 8300.00 लाख ₹0 में से विकलनीय होगा।

(ii) स्वीकृत राशि ₹2116.20 लाख (इक्कीस करोड़ सोलह लाख बीस हजार ₹0 मात्र) में से ₹50.00 लाख माँग सं०-48, मुख्य शीर्ष-2217- शहरी विकास, उप मुख्य शीर्ष-01 - राज्य की राजधानी का विकास, लघु शीर्ष-796, जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उप शीर्ष-0301- सबके लिए आवास (शहरी) मिशन, विपत्र कोड-48-2217017960301, पी०एफ०एम०एस० कोड-1989, विषय शीर्ष-0301.31.05-सहायक अनुदान -परिसंपत्तियों के निर्माण, अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में उपबंधित राशि 50.00 लाख ₹0 में से विकलनीय होगा।

(iii) स्वीकृत राशि ₹2116.20 लाख (इक्कीस करोड़ सोलह लाख बीस हजार ₹0 मात्र) में से ₹9.40 लाख माँग/विनियोग सं०-48, मुख्य शीर्ष-2217- शहरी विकास, उप मुख्य शीर्ष-03 - छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास, लघु शीर्ष-796-जन-जातीय क्षेत्रीय उप-योजना, उप शीर्ष-0303- सबके लिए आवास (शहरी) मिशन, विपत्र कोड-48-2217037960303, पी०एफ०एम०एस० कोड-1989, विषय शीर्ष 31-सहायता अनुदान-0303.31.05-सहायक अनुदान-परिसंपत्तियों के निर्माण, अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में उपबंधित 50.00 लाख ₹0 में से विकलनीय होगा।

(iv) स्वीकृत राशि ₹2116.20 लाख (इक्कीस करोड़ सोलह लाख बीस हजार ₹0 मात्र) में से ₹379.20 लाख माँग/विनियोग सं०-48, मुख्य शीर्ष-2217- शहरी विकास, उप मुख्य शीर्ष-01 - राज्य की राजधानी का विकास, लघु शीर्ष-789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष-0305- सबके लिए आवास (शहरी) मिशन, विपत्र कोड-48-2217017890305, पी०एफ०एम०एस० कोड-1989, विषय शीर्ष 31-सहायता अनुदान-0305.31.

05- सहायक अनुदान -परिसंपत्तियों के निर्माण, अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में उपबंधित राशि 800.00 लाख रू० में से विकलनीय होगा।

6. वित्त विभाग के पत्रांक-378 दिनांक-16.01.2018 के आलोक में सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अन्दर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना के कार्यालय को अवश्य भेजा जायेगा।

7. भारतीय अंकेक्षण एवं लेखा विभाग को पुस्तकों एवं रजिस्ट्रों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का अधिकार होगा।

8. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार, विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन संचिका के पृ०-148/टि० पर ^{24.07.19} दिनांक- को प्राप्त है।

9. प्रस्ताव में विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका के पृ०-147 /टि० पर दिनांक-23.07.19 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

24.07.19

सरकार के विशेष सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक-04/HFA-10/2016

- 44-

दिनांक-25/7/19

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

24.07.19

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-04/HFA-10/2016

- 44-

दिनांक-25/7/19

प्रतिलिपि:-वित्त विभाग (बजट शाखा)/योजना एवं विकास विभाग/संबंधित नगर आयुक्त/नगर कार्यपालक पदाधिकारी/मा० मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/उप निदेशक, बुडा/लेखापाल, बुडा/प्रशाखा पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/लेखापाल, नगर विकास एवं आवास विभाग (दो प्रतियों में)/प्रशाखा-2(बजट), नगर विकास एवं आवास विभाग/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय आई०टी० प्रबंधक को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु/स्थानीय लेखापरीक्षक, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

24.07.19

सरकार के विशेष सचिव।

R. Ven. S. H. K.